



F. No. 11-5/2006/RIEFA/Vol-II/339

दिनांक- 07 अप्रैल, 2025.

आदेश

विभिन्न क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों के प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य के पद पर निहित प्रभार/शक्तियाँ नव नियुक्त प्राचार्यों को हस्तांतरित करने एवं भारमुक्त होने के बाद प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य अपने पदस्थापन स्थान पर, जहां वे प्राचार्य/ प्रभारी प्राचार्य के रूप में नामित होने से पूर्व मूल रूप से तैनात थे, रिपोर्ट करने के लिए निम्न विवरणी के अनुसार निर्देशित किया जाता है:-

क्रम सं	प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य का नाम	वर्तमान नियुक्ति स्थान	रिपोर्ट करने का स्थान
01	प्रो. सत्य वीर शर्मा, प्राचार्य	क्षे.शि.सं., अजमेर	क्षे.शि. सं., अजमेर
02	प्रो. जयदीप भण्डल, प्रभारी प्राचार्य	क्षे.शि.सं., भोपाल	क्षे. शि. सं., भोपाल
03	प्रो. वाई श्रीकांत, प्रभारी प्राचार्य	क्षे.शि.सं., मैसूर	एन आइ ई , नई दिल्ली



टी ए / डी ए , अगर कोई है, परिषद के नियमानुसार दी जाएगी।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

495/DICT(H)
9/4/25

FNA
9.4.25
Dr. Rajesh
अवर सचिव
26/201

प्रतिलिपि:-

1. प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य, आरआईई, अजमेर, भोपाल, मैसूर।
2. प्रशासनिक अधिकारी, आरआईई, अजमेर, भोपाल, मैसूर।
3. सीएओ, एनसीईआरटी
4. वीएसओ, वी एंड एल सेक्शन/सीआर सेल
5. संयुक्त निदेशक, सीआईईटी
6. संयुक्त निदेशक, पीएसएससीआईवीई
7. निदेशक, एनसीईआरटी के निजी सचिव को
8. संयुक्त निदेशक, एनसीईआरटी के निजी सचिव
9. सचिव, एनसीईआरटी के निजी सचिव
10. प्रमुख, आई. सी. टी. , सी. आई. ई. टी. (परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध हेतु)।

FNA
9/4/25
H/DICT
Rajesh
9/4/25